कोटपूतली थाने का एसआई 3500 रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार

सत्यापन के दौरान आरोपी उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने परिवादी से 1500 रुपये एडवांस के रूप में ले लिए थे

कोटपूतली, (निसं)। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरूवार को कोटपूतली-बहरोड़ जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर अलवर प्रथम चौकी की टीम ने कोटपूतली पुलिस थाने में तैनात उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह को परिवादी से 3500 रुपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह पूरी कार्रवाई एसीबी के डीआईजी डॉ. रामेश्वर सिंह के निर्देशन में अंजाम दी गई।

परिवादी ने अदालत के माध्यम से बैंक के खिलाफ कोटपूतली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले की जांच आरोपी उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह के पास थी। प्रकरण में आगे की कानूनी कार्रवाई करने और मदद की एवज में आरोपी एसआई परिवादी से पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगकर लगातार परेशान कर रहा था। परेशान होकर परिवादी ने इसकी शिकायत एसीबी चौकी अलवर में दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर बुधवार को रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी राजेंद्र सिंह ने परिवादी से 1500 रुपये एडवांस के रूप में ले लिए और शेष 3500 रुपये गुरुवार को देना तय हुआ। गुरूवार को जैसे ही परिवादी बकाया राशि देने पहुंचा, उप अधीक्षक पुलिस शब्बीर खान के नेतृत्व में गठित एसीबी टीम ने आरोपी एसआई को 3500 की नकदी के साथ रंगे हाथों दबोच लिया। आरोपी के कब्जे से रिश्वत की राशि बरामद कर ली गई है और थाने में अग्रिम अनुसंधान जारी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। डीआईजी डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में कोटपूतली-बहरोड़ ईलाके में इस सप्ताह यह दूसरी बड़ी ट्रैप कार्यवाही की गई है। इससे पहले एसीबी ने विराटनगर में तहसीलदार संजय कुमार, कनिष्ठ सहायक देवीलाल व एक दलाल अशोक को 55 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।

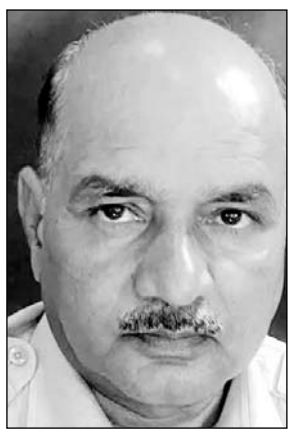

आरोपी उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह

- बैंक के खिलाफ थाने में दर्ज मुकदमे में कार्रवाई करने और मदद की एवज में एसआई ने परिवादी से पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी

अजमेर के दर्जी को आयकर विभाग ने 975 करोड़ की देनदारी का नोटिस दिया

62 वर्षीय दर्जी रेखराज के नाम सूरत की हीरा कंपनियों में निदेशक होने का दावा, पैन कार्ड के दुरुपयोग का आरोप

अजमेर, (कासं)। महीने में करीब 15 हजार रुपये कमाने वाले अजमेर के 62 वर्षीय दर्जी को आयकर विभाग की ओर से 974.97 करोड़ रुपये की कर वसूली का नोटिस मिलने से हड़कंप मच गया। गोविंदगढ़ निवासी रेखराज ठाड़ा का दावा है कि किसी ने उनके पैन कार्ड का दुरुपयोग कर सूरत में फर्जी कंपनियां बनाई और उन्हें कंपनियों का निदेशक बना दिया।

रेखराज गोविंदगढ़ के बड़ा बाजार में किराये की छोटी दुकान में सिलाई का काम करते हैं। इसके अलावा वे जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता भी हैं। दोनों कामों से उन्हें कुल मिलाकर करीब 15 हजार रुपये प्रतिमाह की आय होती है। ऐसे में जब 13 अगस्त को सूरत आयकर विभाग का नोटिस उनके घर पहुंचा तो पूरा परिवार हैरान रह गया। नोटिस में उन्हें सूरत की 'रूप रजत डायम' नामक हीरा कंपनी का निदेशक बताया गया और करीब 975 करोड़ रुपये की कर देनदारी का उल्लेख किया गया। रेखराज का कहना है कि वे अपने पूरे जीवन में गुजरात तक नहीं गए। उन्होंने जब अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से मामले की जानकारी कराई तो पता चला कि सूरत की एक अन्य हीरा कंपनी 'जय बाबेरी डायम' में भी उनका नाम निदेशक के रूप में दर्ज है।

रेखराज के अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर फर्जी कंपनियां बनाई हैं। उन्होंने बताया कि वे वर्ष 2009 से जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता हैं और आयकर विभाग से उन्हें हर साल करीब पांच हजार रुपये का रिफंड मिलता रहा है। ऐसे में अचानक इतनी बड़ी कर देनदारी का नोटिस मिलने से वे और उनका परिवार सदमे में हैं। उन्होंने नोटिस का जवाब ई-मेल के माध्यम से भेज दिया है। इसके बाद रेखराज अपने बेटों के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने अजमेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण से मदद की गुहार लगाई। पुलिस ने शिकायत लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

- दर्जी रेखराज ने बताया कि वे वर्ष 2009 से जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता हैं और आयकर विभाग से उन्हें हर साल करीब पांच हजार रुपये का रिफंड मिलता रहा है
- रेखराज का कहना है कि वे अपने पूरे जीवन में गुजरात तक नहीं गए, उन्होंने जब अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से मामले की जानकारी कराई तो पता चला कि सूरत की एक अन्य हीरा कंपनी 'जय बाबेरी डायम' में भी उनका नाम निदेशक के रूप में दर्ज है

अजमेर के पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत ने भाजपा छोड़ी

अजमेर, (कासं)। अजमेर नगर निगम के पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर जिले की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। गहलोत ने आगामी नगर परिषद चुनाव के तहत नागौर चुनाव प्रबंधन प्रभारी का दायित्व संभालने से भी इनकार कर दिया है। उन्होंने वीडियो बयान जारी कर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष व अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी पर राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग कर दबाव बनाने और उनकी छवि खराब करने के आरोप लगाए हैं।

धर्मेंद्र गहलोत ने कहा कि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से हाल ही में उनके खिलाफ दो मामलों में कार्रवाई से संबंधित पत्र जारी किए गए हैं। इनमें एक मामले में धारा 17-ए के तहत अभियोजन और जांच की अनुमति दी गई है, जबकि दूसरे मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। पूर्व महापौर के अनुसार इनमें से एक शिकायत वर्ष 2021 की है, जब वे महापौर पद पर भी नहीं थे। दूसरा मामला उनके महापौर कार्यकाल से जुड़ा करीब छह से सात वर्ष पुराना है। उनका आरोप है कि चुनावी माहौल के बीच पुराने मामलों को सामने लाकर उनके ऊपर राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि उनके और वासुदेव देवनानी के बीच लंबे समय से वैचारिक और राजनीतिक मतभेद रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देवनानी की कार्यशैली विरोधियों को दबाने की रही है। गहलोत ने कहा कि वे किसी भी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं।

उन्होंने बताया कि भाजपा संगठन ने उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें नागौर चुनाव का प्रबंधन प्रभारी बनाया था, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया। हालांकि उनका कहना है कि सरकारी विभाग की ओर से जारी पत्रों और जांच के चलते आगामी चुनाव में विपक्ष को भाजपा पर सवाल उठाने का अवसर मिल सकता है। इसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि दो नेताओं की आपसी राजनीतिक लड़ाई के कारण पार्टी कटघरे में न खड़ी हो, इसलिए उन्होंने भारी मन से भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। साथ ही प्रदेश नेतृत्व से अनुरोध किया है कि मामलों का निस्तारण होने तक उन्हें नागौर प्रभारी सहित संगठन के सभी दायित्वों से मुक्त रखा जाए।

- धर्मेंद्र गहलोत ने वीडियो बयान जारी कर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग कर दबाव बनाने और छवि खराब करने के आरोप लगाए
- गहलोत ने आगामी नगर परिषद चुनाव के तहत नागौर चुनाव प्रबंधन प्रभारी का दायित्व संभालने से भी इनकार किया

गड्ढे में भरे पानी में बच्चा डूबा, मौत

उदयपुर, (निसं)। शहर के सुखेर थाना क्षैत्र में भूखण्ड में खोदे गए गड्ढे में भरे पानी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम की मदद से मृतक बच्चे को बाहर निकाला।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरूवार सांय सुखेर थाना क्षैत्र केशव नगर रूपसागर रोड़ पर स्थित भूखण्ड पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान खोदे गए गड्ढे में भरे बरसाती पानी में डूबने से खाकड़ झाड़ोल हॉल उदयपुर निवासी तेजाराम गमेती (7) पुत्र रतन गमेती की मौत हो गई। मौके पर निर्माणाधीन काम्प्लेक्स के लिए गड्ढा खोद रखा था। जिसमें बरसाती पानी भरा हुआ था।

वहां खेलते-खेलते बच्चा तेजाराम गया तो पांव फिसलने पर वह पानी में गिरने के बाद डूब गया। इसको देख उसकी बहन ने परिजनों को सूचना दी। जहां सुखेर थाना एसआई अमरसिंह ने मौके पर पहुंच कर नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम की मदद से मृतक बच्चे को बाहर निकाल एमबी चिकित्सालय मोर्चरी में रखवाया, जिसका शुक्रवार को पोस्टमार्टम होगा।

बूंदी में डिलीवरी के बाद प्रसूता की तबियत बिगड़ी, कोटा में उपचार के दौरान मौत

कोटा, (निसं)। बूंदी अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने पर कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रैफर किया गया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार पनवाड़ निवासी महिला को 17 अगस्त को बूंदी के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन के जरिये डिलीवरी के दौरान महिला ने बच्ची को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी, जिस पर महिला को उपचार के लिये कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिये रैफर किया गया, जहां महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

बूंदी कोतवाली के एएसआई देशराज चौधरी ने बताया कि मृतका टोंक जिले के पनवाड़ निवासी सोनिया सैनी (24) थी। एएसआई ने बताया कि 17 अगस्त को महिला सोनिया सैनी को परिजनों ने डिलीवरी के लिये बूंदी के चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां 18 अगस्त को ऑपरेशन के जरिये डिलीवरी कराई गई और महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद तबीयत बिगड़ने पर महिला को कोटा रैफर कर न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे भर्ती किया गया था, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। एएसआई ने बताया कि मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतका के परिजनों ने बूंदी में ऑपरेशन के दौरान उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत दी है। परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

- महिला की तबीयत बिगड़ने पर कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रैफर किया था
- मृतका के परिजनों ने बूंदी में ऑपरेशन के दौरान उपचार में लापरवाही का आरोप लगा शिकायत दी है

साइबर ठगी के मामले दर्ज

उदयपुर, (निसं)। साइबर थाना पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों के खिलाफ पीड़ित के बैंक खाते से नकदी निकाल हड़पने का प्रकरण दर्ज किया।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित रमेश पुत्र नाथजी कलाल निवासी भुदरवर्दा ऋषभदेव ने साइबर पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया कि 9 अगस्त से 11 अगस्त तक मेरे बैंक खाते से यूपीआई से 2 लाख 89 हजार 996 रूपये निकाल लिए गए। कुछ दिन बाद बैंक बैलेंस चैक करने के दौरान इसका खुलासा हुआ।

इसी तरह डॉ. जियाउद्दीन शेख पुत्र जिमींउद्दीन कुरैशी निवासी किशनपोल गोवर्मेंट प्रेस के पास सूरजपोल ने प्रकरण दर्ज करवाया कि मैने एक्सीस बैंक क्रेडिट कार्ड से लिमीट ले रखी थी। जिसका उपयोग नहीं करने पर किसी व्यक्ति ने फोन कर एतराज किया। इस दौरान 11 अगस्त को उसने मैसेज भेजा उसे अपडेट करने के बाद मेरे खाते से 2 लाख 49 हजार 109 रूपये मेरे खाते से निकल गए। मैसेज मिलने पर साइबर पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया।

- साइबर पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरु की

आठ माह से लापता बालिका भीलवाड़ा से दस्तयाब

कोटा, (निसं)। मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने कार्यवाही करते हुए आठ माह से लापता 17 वर्षीय नाबालिग को भीलवाड़ा से दस्तयाब किया। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 10 जनवरी को फरियादी ने अपनी नाबालिग पुत्री के घर से बिना बताये चले जाने के सम्बन्ध में शहर के एक थाने में रिपोर्ट दी।

शहर एसपी ने बताया कि नाबालिग बालिका की तलाश के लिये मानव तस्करी विरोधी यूनिट प्रभारी मीनाक्षी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, टीम द्वारा बालिका की तलाश कर तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कोटा, हिन्डोली, निवाई, जयपुर में लगातार तलाश किया गया। 19 अगस्त को तकनीकी अनुसंधान से बालिका के भीलवाड़ा में होने की जानकारी मिलने पर टीम को रवाना किया गया। टीम द्वारा भीलवाड़ा पहुंचकर शहर में सभी संभावित स्थानों पर निरन्तर तलाश किया गया। तलाश में अपहृता बालिका के माली खेड़ा क्षेत्र में मिलने पर साथ लेकर आये तथा प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान कार्यवाही हेतु थानाधिकारी को सुपुर्द किया गया।

त्योहारों से पहले पावटा में खाद्य विभाग की कार्रवाई

पावटा, (निसं)। त्योहारों के सीजन में आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। जिला कलेक्टर के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम ने पावटा क्षेत्र में मिठाई की दुकानों और खाद्य कारोबार प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर कई खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। कार्रवाई के दौरान 25 किलोग्राम पुरानी एवं दूषित मिठाइयां मिलने पर उन्हें मौके पर ही नष्ट करवाया गया।

खाद्य सुरक्षा टीम ने पावटा में मैसर्स शिवम बेकरी रसगुल्ला भंडार का निरीक्षण कर रसगुल्ले के नमूने लिए। वहीं मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भंडार से मलाई बर्फी, मिल्क केक और मिश्री मावा के नमूने लिए गए। निरीक्षण के दौरान कुछ प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। इस पर संबंधित मिष्ठान कारोबारियों को नोटिस जारी किए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया कि खाद्य कारोबारियों को नियमों का पालन करना अनिवार्य है और बिना खाद्य अनुज्ञा-पत्र या रजिस्ट्रेशन के कारोबार करते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

- 25 किलो पुरानी व दूषित मिठाइयां मौके पर ही नष्ट कराई
- खाद्य विभाग की टीम ने कई प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए

बाइक व नकदी चोरी, मामला दर्ज

उदयपुर, (निसं)। डबोक थाना पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ बाइक मय नकदी चुरा ले जाने का प्रकरण दर्ज किया। पीड़ित सुरेश पुत्र खुमा पूर्बीया निवासी आजना डबोक ने पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया कि सांगवा खेमली में श्रीसांवरिया नाम से ढाबा का संचालन करता हूं। 18 अगस्त को मेरी बाइक ढाबे पर खड़ी थी तथा बाइक के बैंग में नकदी रखी थी। कुछ समय बाद देखा तो बाइक मय नकदी गायब थी। वहीं शहर के प्रतापनगर थाना पुलिस ने पीड़िता सज्जन देवी पत्नी शिवलाल सुहालका निवासी सुन्दरवास की रिपोर्ट पर अज्ञात चोर के खिलाफ मकान का ताला तोड़ कर सामान व जेवर चुराने का प्रकरण दर्ज किया।

दो बहनों को जोधपुर के होटल में ले गई युवती, तीन युवकों ने रेप किया

युवती ने दोनों बहनों को ननिहाल छोड़ने और सस्ते कपड़ों की सेल में ले जाने का झांसा दिया था

बीकानेर, (निसं)। एक युवती स्कूल में पढ़ने वाली दो नाबालिग बहनों को ननिहाल छोड़ने और सस्ते कपड़ों की सेल में ले जाने का झांसा देकर जोधपुर ले गई। वहां होटल में दोनों बहनों के साथ कई युवकों ने दुष्कर्म किया। उनका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। यह सनसनीखेज मामला सामने आने पर जोधपुर के महामंदिर पुलिस थाने में जीरो नंबरी एफआईआर दर्ज कर नोखा थाने में भेजी गई है।

पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि 19 जुलाई को नोखा क्षेत्र निवासी एक युवती अपनी परिचित और स्कूल में पढ़ने वाली 14 और 15 साल की बहनों को अपने साथ ले गई। दोनों को घुमाने और कपड़ों की सेल में खरीदारी का लालच देकर ट्रेन से जोधपुर पहुंची। जोधपुर के एक होटल में युवती ने अपने तीन परिचित युवकों को पहले से बुला रखा था। होटल के कमरे में दोनों बहनों को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया, जिससे वे बेसुध हो गईं। उसके बाद आरोपियों ने दोनों नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक फोटो व वीडियो बना लिए। होश में आने पर आरोपियों ने दोनों बहनों को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर डराया-धमकाया। इसके बाद पीड़िताएं किसी तरह अपने घर पहुंचीं। कुछ दिन बाद मुख्य आरोपी युवती ने दोनों बहनों पर दोबारा जोधपुर आकर युवकों से मिलने का दबाव बनाना शुरू कर दिया और बात न मानने पर अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी। डरी-सहमी पीड़ित बहनों ने पूरी आपबीती अपनी रिश्तेदार को बताई और उसके बाद परिजनों ने जोधपुर के महामंदिर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी। वहां जीरो नंबरी एफआईआर दर्ज कर नोखा पुलिस थाने भेजी गई है।

एसएचओ गोविन्दसिंह चारण ने बताया कि नामजद युवती व अन्य युवकों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच सीकाउ के डीवाईएसपी दीपचंद करेंगे। पुलिस टीम संदिग्धों की तलाश और साक्ष्य जुटाने में लगी है।

- मामला सामने आने पर जोधपुर के महामंदिर पुलिस थाने में जीरो नंबरी एफआईआर दर्ज कर नोखा थाने में भेजी गई

हाईकोर्ट ने शारीरिक परीक्षा से वंचित अभ्यर्थियों को राहत दी

उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने का मामला

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने वाले अभ्यर्थियों को एक बार फिर परीक्षा देने का मौका दिया। अदालत ने बीमारी, शारीरिक चोट, गर्भावस्था और भारी बारिश जैसी वास्तविक और अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण परीक्षा से वंचित रहे अभ्यर्थियों के लिए सितंबर 2026 में दोबारा शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने का निर्देश दिया।

जस्टिस समीर जैन की पीठ ने स्पष्ट किया कि यह राहत केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी, जो निर्धारित तारीख पर वास्तविक और उचित कारणों से परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके। दोबारा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को आयोजन से होने वाले खर्च के लिए 10 हजार रुपये जमा करने होंगे। हालांकि, वैध गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस राशि से छूट दी गई।

अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया के पहले चरण में सफलता हासिल कर ली थी लेकिन वास्तविक और अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण निर्धारित तारीख पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सके थे। अभ्यर्थियों ने एक और अवसर देने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी बताया गया कि इन पदों पर भर्ती करीब नौ साल बाद हो रही है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था, उन्हें केवल ऐसी परिस्थितियों के कारण बाहर करना उचित नहीं होगा, जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इतने बड़े स्तर पर दोबारा परीक्षा कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी और भारी खर्च होगा। राज्य की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि सार्वजनिक परीक्षाओं में व्यक्तिगत मामलों को व्यापक जनहित पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से चयन प्रक्रिया लगातार चलने वाली प्रक्रिया बन सकती है।

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए भर्ती में करीब नौ साल के अंतराल और इस तथ्य को महत्वपूर्ण माना कि भर्ती प्रक्रिया का तीसरा चरण अभी शुरू नहीं हुआ। ऐसे में किसी तीसरे पक्ष के अधिकार भी अंतिम रूप से तय नहीं हुए। अदालत ने यह भी माना कि याचिकाकर्ताओं पर जानबूझकर परीक्षा से अनुपस्थित रहने का कोई आरोप नहीं है। इसके अलावा, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में जानबूझकर अनुपस्थित रहने से कोई लाभ मिलने वाला भी नहीं था। जस्टिस समीर जैन ने कहा, न्याय के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। अदालत ने माना कि अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति वास्तविक और अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि शारीरिक दक्षता परीक्षा दोबारा आयोजित करने का केवल एक अवसर दिया जाता है तो इससे किसी पक्ष को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। हालांकि, इससे आयोजन करने वाले प्राधिकरण पर अतिरिक्त प्रशासनिक और आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए अदालत ने दोबारा परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों पर 10 हजार रुपये का खर्च डालने का फैसला किया। अदालत ने निर्देश दिया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा सितंबर 2026 के दूसरे सप्ताह में निर्धारित केंद्र पर दोबारा आयोजित की जाए। इस अवसर का लाभ केवल वे याचिकाकर्ता उठा सकेंगे, जो निर्धारित समय के भीतर संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करेंगे।

- बीमारी, गर्भावस्था और भारी बारिश के कारण शारीरिक परीक्षा छूटी तो राजस्थान हाईकोर्ट ने एक और मौका दिया
- दोबारा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को आयोजन से होने वाले खर्च के लिए 10 हजार रुपये जमा करने होंगे

डूंगरपुर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

पीहर पक्ष ने मौत पर संदेह जताया, 5 साल पहले हुई थी शादी

डूंगरपुर, (निसं)। जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के भेहणा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पीहर पक्ष ने इस मौत पर संदेह जताया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले की जांच अब उपखंड अधिकारी द्वारा की जाएगी।

बिछीवाड़ा थाने के संतोष कुमार ने बताया कि जुड़ा गांव निवासी बेचर आमलिया ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने अपनी 27 वर्षीय बेटी नर्वदा की शादी वर्ष 2021 में भेहणा निवासी देवीलाल डामोर के साथ की थी। बेचर आमलिया ने बताया कि उन्हें अचानक फोन पर सूचना मिली कि उनकी बेटी की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई है। मृतका के पिता का आरोप है कि घटना की सही सूचना पीहर पक्ष को समय पर नहीं दी गई। जब वे डूंगरपुर अस्पताल पहुंचे, तो परिजनों के आने से पहले ही ससुराल पक्ष के लोगों ने नर्वदा के शव को मुर्दाघर में रखवा दिया था। परिजनों का कहना है कि ससुराल पक्ष के इस रवैये और जानकारी छिपाने के कारण उन्हें किसी बड़ी अनहोनी या साजिश का अंदेशा है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमॉर्टम करवाया और फिर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसकी आगे की पड़ताल एसडीएम द्वारा की जाएगी।

- पुलिस ने मामला दर्ज किया, आगे की जांच एसडीएम द्वारा की जाएगी

सीकर और खाटूश्यामजी से तीन बाइक चोरी

सीकर। सीकर में प्रिंस हॉस्पिटल के सामने से बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। सांवरमल गुर्जर ने गोकुलपुरा पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने बताया कि 16 अगस्त की शाम उनकी बाइक चोरी हो गई। घटना 16 अगस्त शाम की है। मामले में पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। वहीं खाटूश्यामजी में तोरण द्वार सहित दो जगह से बाइक चोरी की वारदात सामने आई है। लवलेश सामरिया की बाइक तोरण द्वार के पास से 16 अगस्त की शाम को गायब हो गई थी, जबकि रोहिताश जाट की बाइक शनि मंदिर के पास से 18 अगस्त की सुबह गायब मिली। दोनों ने इस मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

Rajasthan Skill and Livelihoods Development Corp.
Kaushal Bhawan, J-8-B, Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004

Notice Inviting RFP for Selection of Service provider for providing services of the Migration Support Centre to Rajasthan Skill and Livelihoods Development Corporation (RSLDC) under DDU-GKY

Rajasthan Skill and Livelihoods Development Corporation (RSLDC) invites proposals from eligible organizations agencies against RFP for Selection of Service provider for providing services of the Migration Support Centre under Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDUGKY). The last date for submission of online proposal is 07-Sept.-2026 till 18:00 Hrs on **https://eproc.rajasthan.gov.in/ nicgep/app** and submit original hard copy of Bid security Demand Draft to RSLDC office by 08-Sept.-2026 till 12:00 Hrs. For further details of RFP and Process visit and RSLDC website- **https://livelihoods.rajasthan.gov.in/rsldc/#/home/dptHome, https://eproc.rajasthan.gov.in/nicgep/app and https://sppp.rajasthan.gov.in/sppp/index.php.**

Raj.Samwad/C/26/10366 Managing Director, RSLDC